23.05.2023	अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 07 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांट के पिता दीपाराम वगैरा द्वारा पूर्व मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाई गई थी। उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के अन्तर्गत हाजा न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यादेश पारित कर उक्त आदेश को अपास्त किया जा चुका है। उसके पश्चात उक्त तथ्य को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे पुन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त आराजी के संबध दीपाराम एव रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा सिविल न्यायालय के अन्तर्गत दावे व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे है। जो आदिनांक तक विचाराधीन है। दीपाराम व उनके वारिसान को किसी भी न्यायालय द्वारा आदिनांक तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुइ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 दीपाराम के हक–हिस्से यानि 1/72वे हिस्से तक ही अर्जित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण अपीलाट अपनी खातेदारी आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांट के पिता दीपाराम वगैरा द्वारा पूर्व मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाई गई थी। उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष जैसाराम बनाम दीपाराम वगैरह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के अन्तर्गत हाजा न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यादेश पारित कर उक्त आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित किया जा चुका है। उक्त तथ्य को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे पुन अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे दुर्भिसंधि प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे अंतिम चौसाला आधार संवत 2073–2076 प्रस्तुत की गई है। उक्त जमाबदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दीपाराम का वादग्रस्त आराजी मे से केवल मात्र 1/72वे हिस्से पर हक–अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश संपूर्ण वादग्रस्त आराजी के संबध मे पारित किया गया है। जिससे वादग्रस्त आराजी से संबधित शेष खातेदारो को उपयोग–उपभोग मे बाधा उत्पन्न हो रही है। अत सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2023 बउनवान फालूदेवी बनाम अमराराम मे पारित आदेश दिनांक 10.05.2023 को अपास्त किया जाता है।

किन्तु प्रकरण मे यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक लंबित है एवं वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल आदेश उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील मे उठाये गये समस्त उज्र के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहायक कलक्टर रानीवाडाको निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे आपके समक्ष विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2023 बउनवान फालूदेवी बनाम अमराराम के अन्तर्गत्

राजस्व अपील प्राधिकारी
आबू

	उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 03 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल द्फतर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	